

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं० 85 /1-13(13) (HRD) देहरादून दिनांक, 14- जून, 2022

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 188(H.R.D.)/1-12(एच0आर0डी0) दिनांक 28-07-2021 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 09-08-2021 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्त के सापेक्ष निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों वेतनमान रू० 47600-151100 लेवल-8 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 56100-177500 लेवल-10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्रीमती गीता डालाकोटी	व०सं०, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी	01,जुलाई,2022
2	श्री हरिकृष्ण	प्र०व०सं०, वन पंचायत, हल्द्वानी	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती	01,जुलाई,2022
3	श्री संजय कुमार सागर	मु०व०सं०, कार्य योजना, हल्द्वानी	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, हल्द्वानी	01,जुलाई,2022
4	श्री दयालाल	प्र०व० उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी	प्र०व० उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी	01,जुलाई,2022
5	श्री उमेश चन्द्र	अ०प्र०व०सं०, वन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रबंधन हल्द्वानी	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	01,जुलाई,2022

1. पदोन्नत अधिकारी द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित अधिकारी पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि के दो सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. यदि अधिकारी द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो अधिकारी से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

4. अधिकारी की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

ITCL
क्रा.का.एन.1

(विनोद कुमार) 6-2 ✓
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

पत्र सं० 2110 (1)/1-13(13) (HRD) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- मु०व०सं०, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
- अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(विनोद कुमार) 14-6-22 ✓
प्रमुख वन संरक्षक, HoFF